दिनाँक 01 अप्रैल, 2016 को सभा कक्ष, शक्ति भवन, लखनऊ में सम्पन्न उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 123वीं बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः

1.	श्री संजय अग्रवाल	अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2.	श्री विशाल चौहान	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0	निदेशक
3.	श्री अयोध्या प्रसाद मिश्रा	प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	प्रबन्ध निदेशक
4.	श्री नील रतन कुमार	विशेष सचिव(वित्त), उ0प्र0 शासन	निदेशक
5.	श्रीमती मंजू शंकर	उप निदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो	निदेशक
6.	श्री कृष्ण मुरारी मित्तल	निदेशक(वितरण) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	निदेशक
7.	श्री रामानन्द यादव	निदेशक(कारपोरेट प्लानिंग) एवं निदेशक(का0प्र0 एवं प्र0) (अतिरिक्त कार्यभार) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	निदेशक
8.	श्री एच0के0 अग्रवाल	कार्यकारी कम्पनी सचिव उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	संयोजक

कम्पनी सचिव ने बैठक में अवगत कराया कि श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक(वाणिज्य) एवं अतिरिक्त कार्यभार निदेशक(वित्त) अपरिहार्य कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो पाये हैं। निदेशक मण्डल ने इसे संज्ञान में लेते हुए उन्हें 'लीव ऑफ एबसेन्स' स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
123(01) दिनाँक 04 फरवरी, 2016 को सम्पन्न उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की 122वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	123(01) निदेशक मण्डल ने प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया।
123(02) Approval of Board to invest the fund of Company by way of subscribing 7743616 equity shares of Rs. 1000/- each of M/s Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited being offered on right basis.	123(02) The Board of Directors passed the following Resolutions: "RESOLVED THAT pursuant to section 179(3)(e) inter-alia other provisions of Companies Act, 2013 and applicable rules thereon, consent of the Board of Directors of Uttar Pradesh Power Corporation Limited be and is hereby accorded to invest the fund of Corporation (i.e. UPPCL) by way of subscribing 7743616 (seventy seven lacs forty three thousand six hundred sixteen) fully paid equity shares of Rs. 1000/- (Rupees one thousand) each aggregating to Rs 7743616000/- (Rupees seven hundred seventy four crores thirty six lacs sixteen thousand only) of M/s Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited being

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
	offered on right basis. RESOLVED FURTHER THAT Shri Sanjay Kumar Singh, Director(Commercial) holding additional charge of Director(Finance) and acting Company Secretary Shri H.K. Agrawal of Uttar Pradesh Power Corporation Limited be and are hereby authorized, severally, to take all necessary action and do all acts, deeds and things including signing of application form on behalf of UPPCL for acceptance of offer made by M/s Purvanchal Vityut Vitran Nigam Limited."
123(03) आर–एपीडीआरपी योजना के भाग–'बी' के अन्तर्गत स्काडा नगरों के Consultat मै0 वापकोस को शेष भुगतान करने के सम्बन्ध में।	123(03) निदेशक मण्डल ने आर–एपीडीआरपी योजना के भाग–'बी' के अन्तर्गत स्काडा नगरों के Consultat मै0 वापकोस को शेष भुगतान करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया कि क्योंकि यह प्रकरण मूलतः डिस्कॉम से संबंधित है अतः डिस्कॉम द्वारा अपने स्तर से इस पर अन्तिम निर्णय लिया जाय।
123(04) उ0प्र0 शासन से अंशपूंजी के रूप में प्राप्त वित्तीय सहायता के शेयर जारी किये जाने के सम्बन्ध में।	123(04) निदेशक मण्डल ने निम्न प्रस्ताव पारित किये:– 1. संकल्प लिया गया कि उ0प्र0 शासन द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में किये गये कुल पूंजी निवेश रू0 1445,44,68,708/– के शेयर महामहिम राज्यपाल, उ0प्र0 शासन (नामित अंशधारियों को छोड़ते हुए) के पक्ष में जारी करने का अनुमोदन प्रदान किया जाता है। 2. पुनः संकल्प लिया गया कि प्राप्त अंशपूंजी रू0 1445,44,68,708/– के सापेक्ष 14454468 अंश का एक शेयर सर्टिफिकेट (प्रति अंश रू0 1,000/–) महामहिम राज्यपाल, उ0प्र0 शासन के पक्ष में जारी किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया जाता है। 3. पुनः संकल्प लिया गया कि उपरोक्त आवंटन के सापेक्ष बची धनराशि रू0 708/– को भविष्य में अंश आवंटन हेतु सुरक्षित रखने का अनुमोदन प्रदान किया जाता है। 4. पुनः संकल्प लिया गया कि उपरोक्त शेयर सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप मे श्री एच0के0 अग्रवाल, कार्यकारी कम्पनी सचिव व दो निदेशको को हस्ताक्षर कर शेयर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अधिकृत किया जाता है। 5. उपरोक्त वर्णित शेयर सर्टिफिकेट पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के Article of Association के सम्बन्धित प्राविधानों के अनुसार कॉमन सील लगाये जाने का भी अनुमोदन प्रदान किया जाता है।
123(05) विभिन्न विद्युत उपक्रमों से क्रय की जा रही विद्युत के भुगतान हेतु करूर वैश्य बैंक से साख सीमा व ओवर ड्राफ्ट लिये जाने के सम्बन्ध में।	123(05) निदेशक मण्डल ने प्रस्ताव अस्वीकृत करते हुए निर्देश दिये कि वर्णित व्यवस्था किसी राष्ट्रीकृत बैंक से प्राप्त करने की कार्यवाही की जाय।

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय

123(06)

विषयः

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल के एजेण्डा आइटम संख्या 118(12) के अन्तर्गत लिये गये निर्णय दिनांक 08–09–2015 के अन्तर्गत "दि कोऑपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लि0" (सेस) के कार्मिकों के संविलीनीकरण, जी0पी0एफ0 सुविधा बहाल करने एवं पेंशन की सुविधा प्रदान किये जाने के प्रकरण में कार्यालय ज्ञाप सं0 1846–अरा0–09(ब)/पाकालि/14–3(7)– अरा0(09ब)/04 दिनांक 19–09–2015 तथा सपठित कार्यालय ज्ञाप सं0 2583–अरा0–09(ब)/पाकालि/15–3(7)–अरा0(09ब)/04 दिनांक 30–12–2015 द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की आख्या तथा संस्तुतियों पर विचार एवं निर्णय लिया जाना।

निदेशक मण्डल का निर्णयः

निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल के 118वीं बैठक जो दिनांक 08–09–2015 को सम्पन्न हुई, में लिये गये निर्णय के क्रम में जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या 1846–अरा0–09(ब)/ पाकालि/14–3(7)–अरा0–09(ब)/04 दिनांक 19–09–2015 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या 2583–अरा0–09(ब)/ पाकालि/15–3(7)–अरा0–09(ब)/04 दिनांक 30–12–2015 द्वारा गठित समिति की आख्या एवं संस्तुतियों का गहन अध्ययन एवं परीक्षण किया। परीक्षण करने पर निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः–

1. शासन स्तर पर उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद द्वारा दि कोऑपरेटिव इलैक्ट्रिक सप्लाई सोसायटी लि0, लखनऊ के नवीनीकरण के संदर्भ में दिनांक 03–04–1997 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त जो ऊर्जा विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 11 अप्रैल, 1997 के माध्यम से प्राप्त हुआ है, में प्रथम प्रस्तर में यह संज्ञान में लेते हुए कि दि कोऑपरेटिव इलैक्ट्रिक सप्लाई सोसायटी लि0, लखनऊ को ऊर्जा विभाग से प्राप्त लाइसेंस 28–03–1997 को समाप्त हो गया है, के परिप्रेक्ष्य में कार्यवृत्त के पृष्ठ 2 बिन्दु 3 में निम्नवत् अंकित हैः–

   "सेस में नियुक्त समस्त नियमित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी यथावत (as it is) राज्य विद्युत परिषद में कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से राज्य विद्युत परिषद द्वारा दैनिक वेतन के आधार पर कार्य लिया जायेगा। नियमित कर्मचारी अन्ततः राज्य विद्युत परिषद में समायोजित कर लिये जायेंगे। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विषय में समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।"

2. उप निबन्धक (के), सहकारी समितियॉं, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा निबन्धक, सहकारी समितियों की हैसियत से जारी आदेश सं0: 6977–82/विधि/निबन्धन/समापन दिनांक 27–08–1997 द्वारा उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 72 के अन्तर्गत सेस के समापन का आदेश दिया गया एवं धारा 73 (1) के अन्तर्गत जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉं, उ0प्र0, लखनऊ को परिसमापक नियुक्त किया गया।
3. संयुक्त सचिव, सहकारिता एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश सं0: 659 दिनांक 10–07–2002 के द्वारा उपरोक्त आदेश सं0: 6977–82/विधि/निबन्धन/समापन दिनांक 27–08–1997 को निरस्त करते हुए सम्पूर्ण प्रकरण पुनर्विलोकन कर निर्णय लेने हेतु उप निबन्धक, सहकारी समितियों को सन्दर्भित किया गया।
4. संयुक्त निबन्धक, सहकारी समितियॉं, उ0प्र0, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश सं0: 1306–11/विधि–धारा 73(I) दिनांक 06–05–2008 द्वारा उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 72 के अन्तर्गत सेस के समापन का आदेश दिया गया एवं धारा 73 (1) के अन्तर्गत जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉं, उ0प्र0, लखनऊ को परिसमापक नियुक्त किया गया।
5. उप आयुक्त एवं उप निबन्धक, सहकारिता, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश सं0: 3628–43/विधि–धारा–72 दिनांक 27–07–2013 द्वारा सेस के सम्बन्ध में निर्गत आदेश पत्रांक :

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय

6977–82/विधि/ निबन्धन/समापन दिनांक 27–08–1997 एवं तद्क्रम में निर्गत आदेश पत्रांक : 1306–11/विधि–धारा 73(I) दिनांक 06–05–2008 को तत्काल प्रभाव से वापस लेते हुए निरस्त किया गया।

6. उप आयुक्त एवं उप निबन्धक, सहकारिता, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश पत्रांक : 72–82/विधि–धारा–72 दिनांक 08–01–2014 द्वारा उ0प्र0 सहकारी समिति, 1965 की धारा 72 के अन्तर्गत सेस, लखनऊ के समापन का आदेश दिया गया तथा अपर जिला सहकारी अधिकारी, सदर जनपद, लखनऊ को परिसमापक नियुक्त किया गया।

7. मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21–11–2008 के अनुपालन में याचीगणों द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया, लेकिन प्रत्यक्षतः उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। अतः श्री विमल कुमार मिश्रा एवं 03 अन्य ने मा0 उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका सं0: 2294/2009 दायर की। इस अवमानना याचिका में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय को नोटिस जारी हुई। इस नोटिस पर विचारोपरान्त कारपोरेशन के आदेश सं0: 3662–अरा0–09(ब)/पाकालि/09 दिनांक 27–11–2009 द्वारा अधोउद्धृत आदेश जारी हुए :–

"याचिका सं0–2144 एस0एस0/2004 विद्युत मजदूर पंचायत यू0पी0 व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के आदेश दिनांक 21–11–2008 के अनुपालन में उक्त याचिका में सम्मिलित समस्त याचीगणों, जो सेस के नियमित कर्मचारी हैं, को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में दिनांक 20–01–1999 से नियमित मानते हुए उन्हें पावर कारपोरेशन के नियमित कर्मचारियों की अनुरूपता में समस्त सेवा सम्बन्धी लाभ प्रदान करने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

इस सम्बन्ध में विद्युत मजदूर पंचायत, उ0प्र0 के पत्रांक 205/वि0म0पं0 उ0प्र0/09 दिनांक 10–02–2009 की छायाप्रति संलग्नकों सहित संलग्न करते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि आप अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा दिये गये प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार उक्त याचिका के समस्त याचीगणों को समस्त सेवा सम्बन्धी लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु कृपया अपने स्तर से अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से कारपोरेशन मुख्यालय को शीघ्र अवगत कराने की व्यवस्था करें।"

उपरोक्त के संदर्भ में निदेशक मण्डल द्वारा संबंधित पत्रावली जिसके माध्यम से यह आदेश जारी हुआ, का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि याचिका सं0–2144 एस0एस0/2004 विद्युत मजदूर पंचायत यू0पी0 व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के आदेश दिनांक 21–11–2008 का प्रभावी अंश निम्नवत् है:–

"In the facts and circumstances of the case, I direct the petitioners to file a fresh comprehensive representation along with certified copy of this order as well as complete copy of the writ petition with all Annexures before opposite party No. 1 within a week and on such representation being filed, as stipulated above, the concerned competent authority shall decide the same by a speaking and reasoned order within three weeks of the receipt of representation, as contemplated above, exercising its unfettered discretion on the basis of record before him and in accordance with relevant Rules, recent Government Orders, Scheme/Policy and the judgement of the Hon'ble Apex Court rendered in Civil Appeal No. 3765 of 2001. Subject to the above observations and directions, writ petition stands partly allowed by moulding the relief to the extent indicated above. No costs."

उपरोक्त बिन्दु के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा माननीय न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के क्रम में प्रत्यावेदन निस्तारित कराये जाने की कार्यवाही न कर पत्रावली पर बिना विस्तृत परीक्षण किये तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक से अनुमोदन प्राप्त करते हुए आदेश संख्या 3662–अरा0–09ब/पाकालि/09 दिनांक 27–11–2009 जारी कर दिया गया जो कि वस्तुतः नियमानुकूल नहीं था।

CHAIRMAN'S INITIAL

निदेशक मण्डल ने उपरोक्त प्रस्तुत विवेचना में दिये गये तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए बिन्दु–1 में

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय

दिनांक 03–04–1997 को शासन स्तर पर सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय कि नियमित कर्मचारियों को अन्ततः राज्य विद्युत परिषद में समायोजित कर लिया जायेगा, को आधारस्थ रखते हुए निर्णय लिया कि दि कोऑपरेटिव इलैक्ट्रिक सप्लाई सोसायटी लि0, लखनऊ, जिसका अन्तिम रूप से उप आयुक्त एवं उप निबन्धक, सहकारिता, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश पत्रांक 72–82/विधि–धारा–72 दिनांक 08–01–2014 द्वारा उ0प्र0 सहकारी समिति, 1965 की धारा 72 के अन्तर्गत सेस, लखनऊ के समापन के आदेश जारी किये गये जो वर्तमान में भी प्रभावी हैं, के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि वर्णित कार्मिकों का उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 में संविलीनीकरण दिनांक 08–01–2014 से करते हुए आनुशांगिक कार्यवाही निम्नवत् की जाय:–

1. चूँकि सेस के परिसमापन का अन्तिम आदेश दिनांक 08–01–2014 को किया गया है, अतः सेस के कार्मिकों का उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में संविलिनीकरण इसी दिनांक 08–01–2014 से किया जाये। दिनांक 08–01–2014 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत हो चुके कर्मचारियों पर प्रस्तावित संविलयन आदेश लागू नहीं होंगे। इस प्रकार उनके सेवा प्रकरण, यदि कोई हों, सेस के बाईलाज एवं आदेशों से ही व्यवहृत होंगे।

2. सेस के ऐसे कर्मचारी, जो दिनांक 08–01–2014 को नियमित कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे थे, अर्थात् दिनांक 08–01–2014 तक नियमित कर्मचारियों को दिनांक 08–01–2014 से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की सेवा में समान पदों पर संविलीन कर लिया जाय।

3. सेस के ऐसे कर्मचारी, जो दिनांक 08–01–2014 के पश्चात् नियमित किये गये हैं, उन्हें उनके नियमितीकरण की तिथि से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की सेवा में क्षेत्रीय इकाइयों में विद्यमान समान पदों पर संविलीन किया जाय।

4. जहॉ तक सेस में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, वह मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के अन्तर्गत यथावत् कार्य करते रहेंगे और पावर कारपोरेशन/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा अपने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के सम्बन्ध में समय–समय पर लिये गये/लिये जाने वाले निर्णय एवं आदेशों से वह भी आच्छादित होंगे।

5. यदि संविलीन किये गये सेस कर्मचारी का पदनाम तथा वेतनमान पा0का0लि0 की सेवाओं में प्रचलित पदनाम तथा वेतनमान के समान है, तो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की सेवाओं में संविलयन के फलस्वरूप उसका यह पदनाम यथावत् बना रहेगा। यदि सेस कर्मचारी के पदनाम तथा/अथवा वेतनमान में भिन्नता है अथवा किसी भी प्रकार का विवाद या संशय है, तो प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा एक समिति गठित कर मामले के विस्तृत परीक्षणोपरान्त उस कर्मचारी के पावर कारपोरेशन की सेवाओं में सज्जीकरण (फिटमेन्ट) के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

6. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की सेवाओं में संविलयन के फलस्वरूप सेस के नियमित कर्मचारियों की वरिष्ठता उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में सम्बन्धित संवर्ग/पद में उसके संविलयन के प्रभावी होने की तिथि को संविलीन होने वाले संवर्ग में कनिष्ठतम् कार्मिक के नीचे होगी।

7. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की सेवाओं में संविलयन के फलस्वरूप संविलीन सेस कर्मचारियों को संविलयन आदेश निर्गत होने के पूर्व की तिथि से पदोन्नति यदि प्रोद्भूत हो रही हो, अनुमन्य नहीं होगी।

8. पावर कारपोरेशन लि0 की सेवाओं में संविलीन होने के पश्चात् निर्धारित की गई वरिष्ठता के आधार पर न तो सेस कर्मचारी को पावर कारपोरेशन के कर्मचारी की तुलना में, और न ही पावर कारपोरेशन के कर्मचारी को सेस कर्मचारी की तुलना में वरिष्ठता के आधार पर वेतन समतुल्यता स्वीकृत की जायेगी।

9. चूँकि पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद के दिनांक 14–01–2000 के पश्चात् अस्तित्व में आये उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में इस तिथि के बाद नियुक्त कार्मिकों को पेंशन अनुमन्य नहीं है, अतः उपरोक्तानुसार संविलियन के पश्चात् सेस के कार्मिक भी पेंशन स्कीम से आवरित नहीं होंगे, अपितु उन पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की अंशदायी भविष्य निधि योजना एवं द पेमेन्ट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के प्राविधान लागू होंगे।

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
निदेशक मण्डल द्वारा यह देखते हुए कि वर्णित निर्णय माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित याचिका संख्या 5315(एस.एस.)/2005 में दिनांक 11-03-2016 को पारित आदेशों के क्रम में दिनांक 05-04-2016 को निर्धारित तिथि पर माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है, यह भी निर्णय लिया गया कि इस एजेण्डे के कार्यवृत्त तत्काल जारी कर दिये जायें और उन्हें जारी किये जाने हेतु कार्यकारी कम्पनी सचिव को अधिकृत किया गया।	
123(07) श्री रजनीश माथुर (अभिज्ञान सं0 91054) अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग में पुनः एक वर्ष हेतु प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के सम्बन्ध में।	**123(07)** निदेशक मण्डल ने श्री रजनीश माथुर (अभिज्ञान सं0 91054) अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग में पुनः एक वर्ष हेतु प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन इस प्रतिबन्धाधीन प्रदान किया कि प्रस्ताव पर शासन का अनुमोदन प्राप्त करते हुए कार्यवाही की जाय।
123(08) श्री जमाल आरफीन सिद्दिकी (72079), तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, सम्प्रति सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कारपोरेशन आदेश संख्या 2181 दिनाँक 29-02-2012 के माध्यम से प्रदत्त दण्ड यथा – "देय पेंशन से 05% (पाँच प्रतिशन) धनराशि की कटौती" किये जाने के विरूद्ध की गयी अपील।	**123(08)** निदेशक मण्डल ने श्री जमाल आरफीन सिद्दिकी (72079), तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, सम्प्रति सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कारपोरेशन आदेश संख्या 2181 दिनाँक 29-02-2012 के माध्यम से प्रदत्त दण्ड यथा – "देय पेंशन से 05% (पाँच प्रतिशन) धनराशि की कटौती" किये जाने के विरूद्ध की गयी अपील का गहन परीक्षण किया एवं सम्यक विचारोपरान्त यह पाया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई नये तथ्य नहीं प्रस्तुत किये गये हैं जिसके आधार पर उनके पूर्व दण्ड पर पुनर्विचार किया जा सके अतः उनकी अपील को अस्वीकृत किया गया।
123(09) कारपोरेशन आदेश संख्या 208-डी0पी0 एण्ड ए0(05बी) दिनांक 07-02-2008 द्वारा प्रदत्त दण्ड "निन्दा प्रविष्टि" के विरूद्ध श्री उल्फत राय, लेखाकार (राजस्व) से प्राप्त प्रत्यावेदन।	**123(09)** निदेशक मण्डल ने श्री उल्फत राय, लेखाकार (राजस्व) द्वारा उनको कारपोरेशन आदेश संख्या 208-डी0पी0 एण्ड ए0(05बी) दिनांक 07-02-2008 द्वारा प्रदत्त दण्ड "निन्दा प्रविष्टि" के विरूद्ध दिये गये प्रत्यावेदन का गहन परीक्षण किया एवं सम्यक विचारोपरान्त यह पाया कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में कोई नये तथ्य नहीं प्रस्तुत किये गये हैं जिसके आधार पर उनके पूर्व दण्ड पर पुनर्विचार किया जा सके अतः उनके प्रत्यावेदन को अस्वीकृत किया गया।
123(10) श्री डी0एन0 जायसवाल, तत्कालीन लेखाकार द्वारा कारपोरेशन आदेश संख्या 2794 दिनाँक 30-08-2006 के माध्यम से प्रदत्त दण्ड यथा – "निन्दा प्रविष्टि एवं संचयी प्रभाव से तीन वेतन वृद्धियाँ रोके जाने" के विरूद्ध की गयी अपील।	**123(10)** निदेशक मण्डल ने श्री डी0एन0 जायसवाल, तत्कालीन लेखाकार द्वारा कारपोरेशन आदेश संख्या 2794 दिनाँक 30-08-2006 के माध्यम से प्रदत्त दण्ड यथा – "निन्दा प्रविष्टि एवं संचयी प्रभाव से तीन वेतन वृद्धियाँ रोके जाने" के विरूद्ध की गयी अपील का गहन परीक्षण किया एवं सम्यक विचारोपरान्त यह पाया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई नये तथ्य नहीं प्रस्तुत किये गये हैं जिसके आधार पर उनके पूर्व दण्ड पर पुनर्विचार किया जा सके अतः उनकी अपील को अस्वीकृत किया गया।

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
123(11) लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम (लेसू) में माह 5/92 से 09/93 के मध्य कार्ड कोड–42 के माध्यम से उपभोक्ताओं को दिये गये क्रेडिट सम्बन्धी अभिलेखों की विशेष सम्प्रेक्षा के फलस्वरूप संज्ञान में आयीं गबन/अति गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं में अन्तर्ग्रस्त पाये गये श्री प्रेम सिन्धु पाण्डेय, तत्कालीन कार्यालय सहायक–तृतीय द्वारा प्रदत्त दण्ड के विरूद्ध की गयी अपील।	**123(11)** निदेशक मण्डल ने लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम (लेसू) में माह 5/92 से 09/93 के मध्य कार्ड कोड–42 के माध्यम से उपभोक्ताओं को दिये गये क्रेडिट सम्बन्धी अभिलेखों की विशेष सम्प्रेक्षा के फलस्वरूप संज्ञान में आयीं गबन/अति गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं में अन्तर्ग्रस्त पाये गये श्री प्रेम सिन्धु पाण्डेय, तत्कालीन कार्यालय सहायक–तृतीय द्वारा प्रदत्त दण्ड के विरूद्ध की गयी अपील का गहन परीक्षण किया एवं सम्यक विचारोपरान्त यह पाया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई नये तथ्य नहीं प्रस्तुत किये गये हैं जिसके आधार पर उनके पूर्व दण्ड पर पुनर्विचार किया जा सके अतः उनकी अपील को अस्वीकृत किया गया।
123(12) लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम (लेसू) में माह 5/92 से 09/93 के मध्य कार्ड कोड–42 के माध्यम से उपभोक्ताओं को दिये गये क्रेडिट सम्बन्धी अभिलेखों की विशेष सम्प्रेक्षा के फलस्वरूप संज्ञान में आयीं गबन/अति गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं में अन्तर्ग्रस्त पाये गये श्री राम अधार भट्ट, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी द्वारा प्रदत्त दण्ड के विरूद्ध की गयी अपील।	**123(12)** निदेशक मण्डल ने लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम (लेसू) में माह 5/92 से 09/93 के मध्य कार्ड कोड–42 के माध्यम से उपभोक्ताओं को दिये गये क्रेडिट सम्बन्धी अभिलेखों की विशेष सम्प्रेक्षा के फलस्वरूप संज्ञान में आयीं गबन/अति गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं में अन्तर्ग्रस्त पाये गये श्री राम अधार भट्ट, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी द्वारा प्रदत्त दण्ड के विरूद्ध की गयी अपील का गहन परीक्षण किया एवं सम्यक विचारोपरान्त यह पाया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई नये तथ्य नहीं प्रस्तुत किये गये हैं जिसके आधार पर उनके पूर्व दण्ड पर पुनर्विचार किया जा सके अतः उनकी अपील को अस्वीकृत किया गया।
123(13) श्री सईद हसन (2002166), तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड, सम्भल (सम्प्रति सहायक अभियन्ता–सेवानिवृत्त) को प्रदत्त दण्ड उनकी "देय पेंशन से 3% (तीन प्रतिशत) की कटौती" के विरूद्ध अपील दिनांक 05–12–2013 के सम्बन्ध में।	**123(13)** निदेशक मण्डल ने श्री सईद हसन (2002166), तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड, सम्भल (सम्प्रति सहायक अभियन्ता–सेवानिवृत्त) को प्रदत्त दण्ड उनकी "देय पेंशन से 3% (तीन प्रतिशत) की कटौती" के विरूद्ध की गयी अपील का गहन परीक्षण किया एवं सम्यक विचारोपरान्त यह पाया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई नये तथ्य नहीं प्रस्तुत किये गये हैं जिसके आधार पर उनके पूर्व दण्ड पर पुनर्विचार किया जा सके अतः उनकी अपील को अस्वीकृत किया गया।
123(14) श्री तारा चन्द्र (73094), तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को कारपोरेशन के आदेश सं0 2521 दिनांक 13–11–2014 द्वारा प्रदत्त उनकी वर्तमान देय पेंशन से 11.18% कम किये जाने के दण्ड के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सं0 18–टी0सी0/पी0एफ0–2 दिनांक 18–11–2014 तथा पत्र संख्या 18116/पी0एफ0/टी0सी0 दिनांक 18–01–2016 के सम्बन्ध में।	**123(14)** निदेशक मण्डल ने प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
123(15) विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती/विभागीय प्रोन्नति परीक्षा के लिये सहायक लेखाकार, कार्यालय सहायक–III (लेखा), आशुलिपिक श्रेणी–III, कार्यालय सहायक–III (अन्य अधीनस्थ कार्यालय) एवं तकनीशियन ग्रेड–2 पदों के लिये शैक्षिक अर्हता में संशोधन एवं लिखित परीक्षा के प्रथम एवं द्वितीय भाग के प्रश्नपत्रों के विस्तृत प्रारूप के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	123(15) निदेशक मण्डल ने विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती/विभागीय प्रोन्नति परीक्षा के लिये सहायक लेखाकार, कार्यालय सहायक–III (लेखा), आशुलिपिक श्रेणी–III, कार्यालय सहायक–III (अन्य अधीनस्थ कार्यालय) एवं तकनीशियन ग्रेड–2 पदों के लिये प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार शैक्षिक अर्हता में संशोधन एवं लिखित परीक्षा के प्रथम एवं द्वितीय भाग के प्रश्नपत्रों के विस्तृत प्रारूप का अनुमोदन प्रदान किया।
123(16) कारपोरेशन आदेश सं0 2092 दिनांक 31.10.2014 द्वारा श्री एस0एन0 श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता को प्रदत्त दण्ड– "देय पेंशन से 03 प्रतिशत के कटौती" के विरूद्ध उनसे प्राप्त अपील पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में।	123(16) निदेशक मण्डल ने श्री एस0एन0 श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता को कारपोरेशन आदेश सं0 2092 दिनांक 31.10.2014 द्वारा प्रदत्त दण्ड उनकी "देय पेंशन से 3% (तीन प्रतिशत) की कटौती" के विरूद्ध की गयी अपील का गहन परीक्षण किया एवं सम्यक विचारोपरान्त यह पाया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई नये तथ्य नहीं प्रस्तुत किये गये हैं जिसके आधार पर उनके पूर्व दण्ड पर पुनर्विचार किया जा सके अतः उनकी अपील को अस्वीकृत किया गया।
123(17) आर–एपीडीआरपी पार्ट–ए योजना के अन्तर्गत बरेली नगर की एण्ड लोकेशनों पर स्थापित आई0टी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर की वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध सेवायें मै0 एच0सी0एल0 टेक्नोलोजी से प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	123(17) निदेशक मण्डल द्वारा आरएपीडीआरपीपार्ट–ए योजना के अंतर्गत बरेली नगर की (end location) की वार्षिक अनुरक्षण सेवाएँ एच0सी0एल टेक्नोलाजी से, पूर्वगामी प्रभाव से, एक वर्ष हेतु 31 जनवरी, 2016 से 30 जनवरी, 2017 तक, कुल रु 60,85,794 मात्र (कर अतिरिक्त) में लिए जाने हेतु निम्न अनुमोदन प्रदान किये गये:– 1. आर–एपीडीआरपीपार्ट–ए योजना के अन्तर्गत बरेली नगर की एण्ड–लोकेशन पर स्थापित आई0टी0 इन्फ्रास्ट्रकचर के अनुरक्षण हेतु एच0सी0एल0 टेक्नोलाजी की वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध सेवाओं को एक वर्ष हेतु पूर्वगामी प्रभाव से 31 जनवरी 2016 से 30 जनवरी 2017 तक कुल धनराशि रु0 60,85,794/–मात्र (कर अतिरिक्त) में मै0 एच0सी0एल टेक्नोलाजी को प्रदान किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया। 2. एच0सी0एल0 टेक्नोलाजी से उपरोक्त अनुरक्षण सेवाओं का अनुबन्ध अधीक्षण अभियन्ता आरएपीडीआरपी (पार्ट–ए), उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा किये जाने तथा सम्बन्धित कार्यों का अग्रिम भुगतान अनुरक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से मै0 एच0सी0एल0 टेक्नोलाजी द्वारा ओ0ई0एम0 से Back to back tie up पूर्ण कर लेने के उपरान्त निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पाकालि0 द्वारा अधिकृत कार्यालय द्वारा किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
123(18) Online electricity bill payment collection in rural areas of UP Discoms through Common Service Centers under Ministry of Communications & IT, GOI.	123(18) निदेशक मण्डल द्वारा नॉन आरएपीडीआरपी व ग्रामीण क्षेत्रों में CSC E-Governance Services India Limited के माध्यम से जन सुविधा केन्द्रों (Common Service Centers) पर ऑन लाईन विद्युत बिल पेमेन्ट e-Wallet विधि से जमा कराए जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए निम्नवत निर्णय लिये गये:– 1. CSC E-Governance Services, I&CT मंत्रालय, भारत सरकार, के पोर्टल को उ0प्र0पा0का0लि0 वितरण निगमों के नॉन–आरएपीडीआरपी व ग्रामीण ऑनलाईन बिलिंग सिस्टम से इन्टीग्रेट करते हुए CSC ऑनलाइन विद्युत बिल पेमेंट कलेक्शन सिस्टम को इम्पलीमेन्ट किया जाएगा। 2. प्रारम्भ में CSC E-Governance Services द्वारा प्रत्येक बिल कलेक्शन पर प्रस्तावित रु0 10/– का प्रति ट्रान्ज़ेक्शन कलेक्शन चार्ज़, CSC द्वारा सीधे उपभोक्ता से लिये जाने पर सहमति हुई तथा उ0प्र0पा0का0लि0 अथवा वितरण निगमों द्वारा CSC E-Governance Services को उनकी सेवाओं के विरूद्ध कोई कमीशन/भुगतान देय नहीं होगा। 3. पेमेन्ट कलेक्शन चार्जेज उपभोक्ताओं से लिये जाने के उपरोक्त निर्णय की अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा समय–समय पर समीक्षा की जायेगी। 4. CSC द्वारा बिलपेमेन्ट कलेक्शन e-Wallet विधि से लिये जायेंगे जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु CSC द्वारा उ0प्र0पा0का0लि0 के पास प्रीपेड/एडवान्स Master Wallet एकाउन्ट मेन्टेन किया जायेगा एवं प्रतिदिन सम्बन्धित ट्रान्ज़ेक्शन की MIS उपलब्ध करायी जायेगी। 5. उपरोक्त कार्य हेतु CSC E-Governance Services के साथ अनुबंध करने के लिये अधीक्षण अभियन्ता, आर–एपीडीआरपी पार्ट–ए, उ0प्र0पा0का0लि0 को अधिकृत किया गया।
123(19) विद्युत वितरण खण्ड, सिद्धार्थनगर के माह 04/91 से 03/2001 तक की अवधि के राजस्व अभिलेखों की विशेष सम्प्रेक्षा में पायी गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं में अन्तर्ग्रस्त कार्मिकों के विरूद्ध सी0एस0आर0के प्रस्तर 351ए के प्राविधानानुसार की गयी अनुशासनिक कार्यवाही से संज्ञानित किये जाने के सम्बन्ध में।	123(19) निदेशक मण्डल ने विद्युत वितरण खण्ड, सिद्धार्थनगर के माह 04/91 से 03/2001 तक की अवधि के राजस्व अभिलेखों की विशेष सम्प्रेक्षा में पायी गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं में अन्तर्ग्रस्त कार्मिकों के विरूद्ध सी0एस0आर0के प्रस्तर 351ए के प्राविधानानुसार श्री भागवत प्रसाद चौरसिया, तत्कालीन लेखाकार को आदेश संख्या 1507 दिनांक 16–09–13 द्वारा देय पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती 01 वर्ष की अवधि तक तथा श्री प्रकाश चन्द्र, तत्कालीन लेखाकार को आदेश संख्या 1123 दिनांक 06–06–14 द्वारा देय पेंशन से 7 प्रतिशत की कटौती के दिये गये दण्ड को संज्ञान में लिया।

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
123(20) विद्युत वितरण खण्ड, देवरिया में माह 04/2002 से 10/2006 के मध्य संग्रहकर्ताओं द्वारा किये गये राजस्व गबन की विशेष सम्प्रेक्षा में पायी गयी अनियमितताओं में अन्तर्ग्रस्त कार्मिकों के विरूद्व सी0एस0आर0 के प्रस्तर 351ए के प्राविधानानुसार की गयी अनुशासनिक कार्यवाही से संज्ञानित किये जाने के सम्बन्ध में।	123(20) निदेशक मण्डल ने विद्युत वितरण खण्ड, देवरिया में माह 04/2002 से 10/2006 के मध्य संग्रहकर्ताओं द्वारा किये गये राजस्व गबन की विशेष सम्प्रेक्षा में पायी गयी अनियमितताओं में अन्तर्ग्रस्त कार्मिकों के विरूद्व सी0एस0आर0 के प्रस्तर 351ए के प्राविधानानुसार श्री चन्द्रशेखर, तत्कालीन लेखाकार, सम्प्रति सहायक लेखाधिकारी(सेवानिवृत्त) को कारपोरेशन ओदश संख्या 437 दिनांक 23–02–2016 के माध्यम से "देय पेंशन से 02 प्रतिशत की कटौती किये जाने" के दिये दण्ड को संज्ञान में लिया।
123(21) मुख्य–मुख्य समीष्टों के निष्पादन की माह नवम्बर, 2015 की स्थिति।	123(21) निदेशक मण्डल ने प्रस्तुत स्थिति संज्ञान में ली।
123(22) आर0ई0सी0 से रू0 1500 करोड़ का अल्पकालीन ऋण लिए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 29 मार्च, 2016 को परिचालन माध्यम से पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण।	123(22) निदेशक मण्डल ने पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण करते हुए कार्यवृत्त को अधोउद्धरित करने का निर्णय लिया:– "निदेशक मण्डल ने निम्न संकल्प पारित किये:– 1. संकल्पित किया गया कि आर0ई0सी0 द्वारा स्वीकृत किये गये रू0 1500.00 करोड़ का ऋण उनकी स्वीकृति की शर्तो पर आहरित कर लिया जाय। 2. पुनः संकल्पित किया गया कि ऋण की स्वीकृति की शर्तो के अनुरूप ऋण आहरण हेतु समस्त अनुबन्धों, विलेखों एवं प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने आवश्यकतानुरूप एस्क्रो खातों में आवश्यकतानुार वृद्धि हेतु मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) अथवा उप महाप्रबन्धक (वित्त) अथवा लेखाधिकारी निधि–प्रथम को अधिकृत किया जाता है। 3. पुनः संकल्पित किया गया कि ऋण आहरण हेतु शासन द्वारा जारी की जाने वाली शासकीय प्रत्याभूति जारी करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाय एवं शासकीय प्रत्याभूति पर निर्धारित विधीक्षण शुल्क का भुगतान किया जाय। निगम की ओर से शासन को प्रति प्रत्याभूति देने हेतु निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) को अधिकृत किया जाता है। 4. पुनः संकल्पित किया गया कि निस्पादित अनुबन्ध/विलेखों आदि पर नियमानुसार निगम की कामन सील लगायी जाय।"
123(23) अभियन्त्रण संवर्ग हेतु मानकों एवं उसके अनुरूप सृजित किये जाने वाले नये पदों के अनुमोदन के संबंध में।	123(23) निदेशक मण्डल ने सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण पुनर्विचार एवं परीक्षण कर पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
123(24) उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद कार्मिक (अधिकारी) सेवा विनियम–1995 के स्थान पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 औद्योगिक सम्बन्ध(अधिकारी) सेवा विनियमावली–2016 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में।	123(24) निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद कार्मिक (अधिकारी) सेवा विनियम–1995 के स्थान पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 औद्योगिक सम्बन्ध(अधिकारी) सेवा विनियमावली–2016 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में निर्देशित किया कि तैयार की गई नई नियमावली पर श्रीमती मंजू शंकर, उप निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0 शासन की सहमति प्राप्त करते हुए उसे प्रख्यापित करने की कार्यवाही की जाय जिसकी सूचना निदेशक मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।
123(25) कारपोरेशन आदेश सं0 1875–शिजां0–05ई/पाकालि/13–7(188)05ई/08 दिनांक 13–11–13 द्वारा प्रदत्त दण्ड "निन्दा प्रविष्टि" एवं "असंचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने" के दण्ड को समाप्त करने सम्बन्धी श्री देवेन्द्र पचौरिया, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (92013) के प्रत्यावेदन दिनांक 06–11–14 के सम्बन्ध में।	123(25) निदेशक मण्डल ने कारपोरेशन आदेश सं0 1875–शिजां0–05ई/ पाकालि/13–7(188)05ई/08 दिनांक 13–11–13 द्वारा प्रदत्त दण्ड "निन्दा प्रविष्टि" एवं "असंचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने" के दण्ड को समाप्त करने सम्बन्धी श्री देवेन्द्र पचौरिया, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (92013) के प्रत्यावेदन दिनांक 06–11–14 का गहन परीक्षण किया एवं सम्यक विचारोपरान्त यह पाया कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में कोई नये तथ्य नहीं प्रस्तुत किये गये हैं जिसके आधार पर उनके पूर्व दण्ड पर पुनर्विचार किया जा सके अतः उनके प्रत्यावेदन को अस्वीकृत किया गया।
123(26) मेसर्स वेलस्पन इनर्जी यू0पी0 प्राइवेट लि0 की 74% इक्वटी वाया मेसर्स वेलस्पन इनर्जी छत्तीसगढ़ प्रा0 लिमिटेड से मेसर्स अडानी पावर लिमिटेड को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।	123(26) निदेशक मण्डल ने मेसर्स वेलस्पन इनर्जी यू0पी0 प्राइवेट लि0 की 74% इक्वटी, वाया मेसर्स वेलस्पन इनर्जी छत्तीसगढ़ प्रा0 लिमिटेड, मेसर्स अडानी पावर लिमिटेड को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में एजेण्डा के बिन्दु सं0 5 में वर्णित, उ0प्र0पा0का0लि0 के प्रबन्धन के समक्ष प्रस्तुत दो विकल्पों में से विकल्प सं0 2 पर प्रबन्धन द्वारा सुझाए गये संशोधन की शर्तों सहित निम्न कार्यवाही किये जाने की संस्तुति इनर्जी टास्क फ़ोर्स को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया:– 1. मेसर्स वेलस्पन इनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 के 100 प्रतिशत शेयर, मेसर्स वेलस्पन इनर्जी छत्तीसगढ़ प्रा0 लिमिटेड (जो कि मेसर्स वेलस्पन इनर्जी प्रा0 लि0 की 100 प्रतिशत सब्सीडरी है) को हस्तान्तरित किये जाने हेतु एन0ओ0सी0 निर्गत कर दी जाय। 2. मेसर्स वेलस्पन इनर्जी छत्तीसगढ़ प्रा0 लिमिटेड के 74 प्रतिशत शेयर मेसर्स अडानी पावर लि0 को हस्तान्तरित किये जाने हेतु एनओ0सी0 निर्गत कर दी जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त कार्यवाही, इनर्जी टास्क फोर्स एवं मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त ही सम्पन्न की जाएगी।

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
123(27) मा0 मुख्य मंत्री उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 15–03–2016 को उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/पारेषण/उत्पादन निगम एवं डिस्कामों के विभिन्न नवीन परियोजनाओं एवं उपकेन्द्रों के लोकार्पण/शिलान्यास के सम्बन्ध में कार्योत्तर अनुमोदन के सम्बन्ध में।	123(27) निदेशक मण्डल ने मा0 मुख्य मंत्री उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 15–03–2016 को उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/पारेषण/उत्पादन निगम एवं डिस्कामों के विभिन्न नवीन परियोजनाओं एवं उपकेन्द्रों के लोकार्पण/शिलान्यास के सम्बन्ध में प्रस्ताव में दिये गये विवरणानुसार हुए व्यय रू0 1,01,61,138.00 मात्र (रूपये एक करोड़ एक लाख इकसठ हजार एक सौ अड़तीस) (कर अतिरिक्त) का वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

बैठक अपरान्ह 12:30 बजे प्रारम्भ होकर अपरान्ह 02:00 बजे समाप्त हुई। अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

दिनाँकः 25-04-2016
लखनऊ।

(संजय अग्रवाल)
अध्यक्ष

12

CHAIRMAN'S INITIAL